महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) –द्वितीय का कार्यालय, मध्यप्रदेश

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

क्रमांक/पेंशन/डी.आर.एस.एस.ए./बिहार–04/2019–20 दिनांकः– 17.07.2019

प्रति,

सभी जिला कोषालय अधिकरी

विषयः– बिहार सरकार से सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन/परिवारिक पेंशनरों को भुगतेय चिकित्सा भत्ता के संबंध में।

संदर्भः–
1. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार के पत्र क्रमांक SSA-Pen-09-545 दिनांक 25.07.2019
2. बिहार सरकार, वित्त विभाग शासन आदेश क्रमांक स.वि.(27) पे.को–42/2012–1884/वि. दिनांक 04.08.2014
3. बिहार सरकार, वित्त विभाग शासन आदेश क्र. स.वि.(27) पे.को (पुन.)22/2017–764 दिनांक 30.10.2017

उपरोक्त विषय में लेख है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार से प्राप्त विशेष मुद्रा प्राधिकार के द्वारा बिहार सरकार के शासन आदेशानुसार बिहार सरकार से सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन/परिवारिक पेंशनरों को भुगतेय चिकित्सा भत्ता की स्वीकृति संबंधी आदेश की प्रति प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट **www.agmp.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

17-7-19

लेखा अधिकारी/पेंशन

क्रमांक/पेंशन/डी.आर.एस.एस.ए./बिहार–04/2019–20 दिनांकः–

प्रतिलिपिः–

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना–800001 के पत्र दिनांक 25.07.2019 के संबंध में सूचनार्थ।

–sd/–

लेखा अधिकारी/पेंशन

Address : Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002
Phone : 0751-2323968
Fax : 0751-2432194

पता : लेखा भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर – 474002
दूरभाष : 0751–2323968
फैक्स : 0751–2432194

SP-397760915

दूरभाष/Telephone-2223251
2225766, 2224812

सत्यमेव जयते

फैक्स / Fax – 0612-2225977
तार / Tele | Gram : ACCOUNTS

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

No. पेन-09-545

Dated. 25-07-2019

SSA-143
2019-20

004562

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हक) II
लेखा भवन, झांसी रोड,
मध्यप्रदेश, ग्वालियर 474002

विषयः– बिहार सरकार से सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशनरों को भुगतेय चिकित्सा भता के संबंध में।

प्रसंगः– आपके कार्यालय का पत्रांक–1452 दिनांक 08.07.2019

PA

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा पत्रांक वि० (27) पे०को० (पुन०) 22/2017–764 दिनांक 30/10/17 जो बिहार सरकार से सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के चिकित्सा भत्ता से संबंधित है आपके द्वारा पुनः प्रेषित करने के अनुरोध की गई है।

अतः वित विभाग बिहार सरकार के पत्रांक स०वि०(27) पे०को०–42/2012–1884/वि० दिनांक 04/08/14 एवं वि० (27) पे०को०(पुन०) 22/2017–764 दिनांक 30/10/17 जो बिहार सरकार से सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतेय चिकित्सा भत्ता से संबंधित है, कि विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र आपके आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित की जा रही है।

Sh. Hemant
28/8/19

U-220
29-8-19

कार्या.महालेखाकार (ले.एवं हक.)द्वितीय
पेंशन
27 AUG 2019
महालेखाकार
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

भवदीय
वरीय लेखा अधिकारी
बिहार पटना।

पत्र संख्या-वि0(27) पे0को0-(पुन0)22/2017

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना दिनांक

प्रेषक,

शिव शंकर मिश्र,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी ।

विषय- **राज्य सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को भुगतेय चिकित्सा भत्ता के संबंध में स्पष्टीकरण ।**

प्रसंग- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-754 एवं 755, दिनांक-20.10.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु निर्गत वित्त विभागीय संकल्प संख्या-754 एवं 755, दिनांक-20.10.17 की क्रमशः कंडिका-4 एवं 5 में उल्लिखित है कि " पेंशनर/परिवार पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता के रूप में वह राशि अनुमान्य होगी जो राज्य के सेवारत कर्मियों के संदर्भ में सरकार द्वारा लागू की जायेगी ।"

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों को प्रतिमाह रू0 1,000 (एक हजार) चिकित्सा भत्ता के रूप में स्वीकृत किया गया है ।

3. अतः उपर्युक्त वित्त विभागीय संकल्पों के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को भी चिकित्सा भत्ता के रूप में प्रतिमाह रू0 1,000 (एक हजार) भुगतेय होगा जो संकल्प (754/755) के निर्गत की तिथि-20.10.2017 से प्रभावी होगा ।

विश्वासभाजन,

ह0/
(शिव शंकर मिश्र)
सरकार के विशेष सचिव ।

....2

ज्ञापांकः वि0(27) पे0को0-(पुन0)22/2017 पटना, दिनांकः

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, विधान सभा/परिषद/सभी पेंशन प्रदायी बैंक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/
(शिव शंकर मिश्र)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः वि0(27)पे0को0 (पुन0)22/2017 764 पटना, दिनांकः 30.10.17

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(शिव शंकर मिश्र)
सरकार के विशेष सचिव ।

30.10.17

संचिका सं0-वि0(27) पे0को0-42/2012

बिहार सरकार

वित्त विभाग ।

संकल्प

दिनांक

विषयः- राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह 200/- रूपये स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।

स्वास्थ्य विभाग का ज्ञापांक-14/एम0 6-03/96-5308 (क) दिनांक 24.07.2001 द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को 100/- रूपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता के रूप में स्वीकृत है, जो दिनांक 01.06.2001 से प्रभावी है ।

2. वेतनमान/पेंशन पुनरीक्षण पर अनुशंसा देने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा थी कि सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सेवारत कर्मियों की भाँति 200/- रूपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता का भुगतान किया जाना चाहिए ।

3. उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 200/- चिकित्सा भत्ता की दर के पुनरीक्षण का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था । सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 200/- रूपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता स्वीकृत किया जाए ।

4. यह आदेश दिनांक 01.08.2014 से प्रभावी होगा ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को राज्य सरकार के राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(बी0 राजेन्दर)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञाप सं0-वि0(27) पे0को0-42/2012 /वि0, पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

(बी0 राजेन्दर)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

कृ0पृ0उ0-2

ज्ञापः म0-नि0(27) पे0को0-42/2012 1064/वि0, पटना, दिनांक 04.08.2012

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ जिला पदाधिकारी/ संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय, [illegible] [illegible], पटना/ मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/ वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी (जानकारी सहित) सभी जिला भविष्य निधि पदा0/ सभी कोषागार/ सभी उप कोषागार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(बी0 राजेन्दर)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग